न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 01/2017 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट.

अनवानः–

प्रार्थी

1 हरिसिह पुत्र चिमनसिह कौम राजपुत निवासी हाडेतर तहसील सांचोर जिला जालोर

विप्रार्थीगण

1 मीरादेवी पत्नी रतना
2 हेमराम वल्द काला
3 रमेश कुमार, हरचन्द,प्रकाश,श्रवण पिसरान रतना जातियान माली निवासी फालना तहसील साचोर जिला जालोर
4 सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

वकील प्रार्थीः– श्री सगताराम चौधरी

वकील विप्रार्थीगणः– श्री भीमाराम चौधरी

निर्णय दिनांक 11.12.2019

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थी गांव हाडेतर पटवार मण्डल हाडेतर तहसील साचौर का निवासी है प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 1.50 हैक्टर जो प्रार्थी के बन्ट व कब्जा काश्त सुदा है उक्त खेत में प्रार्थी के आने जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थी के उपयोग के लिए राजस्व रेकार्ड में नही है। उक्त रास्ता भूमि हेतु मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पा रहा है। उक्त खेत में आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थी को अत्यंन्त आवश्यकता है। अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेंख में रास्ता अभिलिखित किया जाना न्यायंसंगत है। इस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के उक्त खेत ग्राम हाडेतर में होने से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा फालना के खसरा नम्बर 194 में से उपयुक्त रहेगा। जो नक्शा नजरी अं लाल रंग से दर्शाया है। जो मौके पर जागीरी समय का है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से अप्रार्थीगण बार बार बन्द कर देते है। अब भी खसरा नम्बर 194 के खातेदारान अप्रार्थीगण ने रास्ते के बीच में कांटे डाल कर अवरोध किया है। ऐसी सुरत में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 1.50 हैक्टर सरहद मौजा हाडेतर में जाने के लिए फालना ग्राम में स्थित खेत खसरा नम्बर 194 में नक्शे में वर्णीत लाल स्याही की भूमि रास्ते के उपयोग के लिए भूमि घोषित करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी पीढियों से इसी जगह

Scanned by CamScanner

आवागमन करता आ रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता नही होने से अभी बन्द किया है जो खुलवाना अति आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। रास्ते हेतु आवेदित भूमि हेतु तहसीलदार सांचोर की प्रथम रिपोर्ट 11.5.2017 को प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 1,2,4,5,6 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम वाके हाडेतर के खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 1.50 हैक्टर के ,खातेदार करणसिह ,पहाडसिह ,हरिसिह , अर्जुनसिह पिसरान चिमनसिह ,जडावं कवंर पत्नि चिमनसिह ,ईश्वरसिह ,गुलाबसिह ,मालमसिह पिसरान गेनसिह,सुजानकंवर पत्नि गेनसिह खातेदार है। प्रार्थी हरिसिह ने मनगढंत तथा गलत तथ्य लिखे है। खेत खसरा नम्बर 295 सयुंक्त खातेदारी का है। अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। पुराने खेत खसर नम्बर 130 रकबा 62 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 291,293,294,295,296,298,299 ,303 मी.,290 जुले रकबा 10.06 हैक्टर बने है। जो प्रार्थी के पिताजी चिमनसिह के सयुंक्त खातेदारी का था जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 की जमाबन्दी के अनुसार धनसिह ,रूपसिह ,सरदारसिह,चिमनसिह ,नगसिह पिता खेतसिह के सयुक्त खातेदारी का आया हुआ था हाडेतर के खेत खसरा नम्बर 352 ,303,390,290,299,291,296,292,293 प्रार्थी के पिताजी चिमनसिह व उनके भाईयों का शामलाती आया हुआ है। खसरा नम्बर 1272/352 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड मे कटान रास्ता आया हुआ है। जो राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 1271/303 रकबा 0.04 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। जो मौके पर प्रार्थी के आने जाने का रास्ता है। तथा प्रार्थी के परिवार की सयुंक्त खातेदारी भूमि में से आते जाते है। नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। जो प्रार्थी के आवागमन हेतु स्वयं के खेतों में होकर गुजरता है। तथा मार्क बी से सी तक रास्ता प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु मोजूद है। प्रार्थी के पिताजी के सयुंक्त खातेदारी की भूमि में से होकर आने जाने हेतु रास्ता ए बी सी मौजुद है तथा निकटतम रास्ता भी यही है। अप्रार्थीगण के खेत में कोई रास्ता नहीं है। तथा कभी भी रास्ता आवागमन हेतु नही रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जागीरी समय का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पहले से रास्ता उपलब्ध है। ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि रास्ते में कांटे डालकर अवरोध किया है। ऐसे मामलों में तहसीलदार के समक्ष धारा 251 में कार्यवाही की जा सकती है। धारा 251 ए के तहत निकटतम नये रास्ते का प्रावधान है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के मनगंढत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी के सयुंक्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा प्रार्थी के आवागमन हेतु अपने

Scanned by CamScanner

पिताजी के सयुक्त खातेदारी भूमि में से बन्टवाडा में आया हुआ है वही आवागमन करते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब मे निवेदन किया किया कि वाके सरहद मौजा हाडेतर के खेत खसरा नम्बर 114,295,296,298,299,299/1095 प्रार्थी हरिसिह एंव उनके भाई करणसिह,पहाडसिह,अर्जुनसिह पिता चिमन सिह ,जडावंकवर पत्नि चिमनसिह ,ईश्वरसिह ,गुलाबसिह,मालमसिह पिता गेनसिह ,सुजानकवंर पत्नि गेनसिह के सयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। खेत खसरा नम्बर 299 में प्रार्थी हरिसिह का रहवासी ढाणी बनी हुई है। जहां पर परिवार सहित रहते आ रहे है। प्रार्थी के आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 303 की तरफ है जहां प्रार्थी हरिसिह के आने जाने हेतु अपने पैतृक खेतों में से रास्ता मोजूद है। तथा रास्ता दोनो तरफ थोर की बाड है। हरिसिह ने आवागमन हेतु अपने खेत खसरा नम्बर 299 पर 15 फुट का बडा लोहे का गेट लगा रखा है तथा खसरा नम्बर 302 पर प्रार्थी का तथा उनके भाइयों का पुराना मकान बना हुआ है। जिसके पास से प्रार्थी के घर तक रास्ता जाता है। यह है कि खेत खसरा नम्बर 295,296,297,298,299, प्रार्थी के शामलाती खातेदारी का आया हुआ है इसलिए प्रार्थी का रास्ता मोजुद है। ऐसी स्थिति में रास्ते प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त सारे खेत प्रार्थी के खातेदारी के है। ऐसी स्थिति में अपने ही खेतों में से होकर जाते है। अपने खेतों पर से रास्ता खसरा नम्बर 295 तक जाता है। इसीलिए दुरी का कोई प्रश्न ही नही पेदा होता है। अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज फरमावे।

अप्रार्थीगण के पुनः मौका देखने के प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी ने पुनः मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान के उपस्थिति में पेश करने हेतु तहसीदार को आदेशित किया जिसकी पालना में दिनांक 3.1.2018 को मौका रिपोर्ट तहसीदार साचौर की प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई एंव मौखित बहस सुनी गई जिसमें अभिभाषक उभय पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र एंव जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया पत्रावली का अवलोकन किया एंव बहस पर मनन किया गया प्रार्थी पक्षकार अपने खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 1.50 हैक्टर ग्राम हाडेतर हेतु पहुचने के लिए रास्ते का आवेदन सरहदी ग्रम फालना के खेत खसरा संख्या 194 रकबा 2.70 हैक्टर से होकर किया जिसकी कुल दुरी 240 मीटर है। अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 194 से रास्ता इस कारण से नही दिया जा सकता क्योंकि प्रार्थी ने जिस भूमि के लिए रास्ते का आवेदन किया है वह शामलाती भूमि है जो कि प्रार्थी के अकेले ही रास्ते हेतु आवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है। तथा हाडेतर के खसरा नम्बर 1272/352 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 1271/1303 रकबा 0.04 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में रास्ता राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। जो प्रार्थी हरिसिह के आने जाने का रास्ता है। राजस्व रेकार्ड दिनांक 13.5.18 को नायब तहसीलदार साचौर मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 303 से 295 तक जिसमें खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 299 ,298,296 वादी शामलाती बताये है खसरा नम्बर 295 व 296 लगते हुए है जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है खसरा नम्बर 1272/303 , खसरा नम्बर 296 तक आता है। खसरा नम्बर 295 व 296 की एक ही माठ लगते है। अतः वेकल्पिक रास्ता मौजुद है इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है। वकील अप्रार्थी ने जो वेकल्पिक मार्ग की पहुचं प्रार्थी के खेत तक बताई है वह प्रार्थ वकील के अनुसार एंव रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार 500 मीटर लम्बा है। जो अब बन्द होने के साथ साथ उसमें पक्के मकान आदि भी बने हुए है जबकि जहा प्रार्थी पक्षकार द्वारा रास्ता चाहा गया है वहा से प्रार्थी पक्षकार पूर्व से आवागमन कर रहा है एंव उसकी दुरी महज 240 मीटर है।इसलिए यही रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहुचंने हेतु सबसे सुलभ प्रतीत होता है तथा वकील प्रार्थी का यह कहना कि जागीदारी समय से रास्ते के सम्बंध में अधिकारीता राजस्व इसी न्यायालय को नही है कि विधि के प्रावधानों के विपरित है। पुर्व से चलने वाले रास्ते एंव नये रास्ते हेतु रास्ते के आवेदनों का निस्तारण राजस्व न्यायालयों में निहीत है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों मौका रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 295 के सबसे नजदीकी एंव सुगम रास्ता खसरा नम्बर 194 में से ही दिया जाना उचित है। रास्ते की चौडाई को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा कोई उज्र नहीं किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	194	2.70	बा.दो.	20 फीट	0.1920 है	फालना	मीरादेवी पत्नीरतना,हेमाराम वल्द काला,रमेशकुमार हरचन्दप्रकाश,श्रवण पिता रतना,मीरा पत्नी स्वःरतना कौम माली साकीन देह खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 194 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

Scanned by CamScanner

(5)

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संषोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय
2 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं
ोता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राषि की दर से
भावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता
है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु
वास्तविक नुकसान के आधार पर राषि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (इ) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्षाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

Scanned by CamScanner

(6)

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सांचोर को लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2019.12.17 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: